

पीएमश्री केन्द्रीय विद्यालय ललितपुर

सत्र 2024-25 के लिए बालवाटिका-2, बालवाटिका -3, कक्षा-2, कक्षा-3, कक्षा-4 तथा कक्षा-6 में प्रवेश हेतु अति आवश्यक सूचना

दिनांक: 27.08.2024

1. शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय ललितपुर में **बालवाटिका-2, बालवाटिका -3, कक्षा-2, कक्षा-3, कक्षा-4 तथा कक्षा-6** (अन्य किसी कक्षा में कोई स्थान रिक्त नहीं है) में केन्द्रीय विद्यालय संगठन के नियमानुसार **केवल निम्न प्रवेश श्रेणियों** के लिए **कुछ सीटें** रिक्त हैं।

प्रवेश श्रेणी - 1 स्थानांतरणीय और गैर-स्थानांतरणीय केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के बच्चे और भूतपूर्व सैनिकों के बच्चे। इसमें विदेशी राष्ट्रीय अधिकारियों के बच्चे भी शामिल होंगे, जो भारत सरकार के निमंत्रण पर प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण पर भारत आते हैं।

प्रवेश श्रेणी - 2 भारत सरकार के स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/उच्च शिक्षा संस्थानों के स्थानांतरणीय और गैर-स्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे।

ADMISSION CATEGORY - 1 Children of transferable and non-transferable central government employees and children of ex- servicemen. This will also include children of foreign national officials, who come on deputation or transfer to India on invitation by Govt. of India.

ADMISSION CATEGORY - 2 Children of transferable and non-transferable employees of Autonomous Bodies/Public Sector Undertaking/Institute of Higher Learning of the Government of India.

2. सभी इच्छुक अभ्यर्थियों के अभिभावक विद्यालय की वेबसाइट से या इस लिंक [Registration Form](#) पर क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं।

3. पंजीकरण प्रपत्र को पूर्ण रूप से भर कर आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करके दिनांक 29/08/2024 अपरान्ह 2 बजे तक विद्यालय में जमा कर सकते हैं। प्रवेश की अंतिम तिथि 31.08.2024 होने के कारण निर्धारित अवधि के बाद अभ्यर्थी के प्रवेश पर कोई विचार नहीं किया जाएगा ।
4. अन्य विवरण के लिए विद्यालय की वेबसाइट <https://lalitpur.kvs.ac.in/> का अवलोकन करें ।

संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची-

1. जाति प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)(अन्य पिछड़ा वर्ग विगत तीन वर्षों में निर्गत प्रमाण पत्र)
2. निवास प्रमाण पत्र
3. जन्मतिथि प्रमाण पत्र
4. सेवा प्रमाण पत्र (पाल्य की जन्मतिथि एवं नाम के साथ)(केंद्रीय /राज्य सरकार के कर्मचारियों और स्वायत्त निकायों के लिए लागू)
5. स्थानांतरण की संख्या दिखाने वाला सेवा प्रमाण पत्र और स्थानांतरण आदेश की मूल तथा प्रति (पिछले 7 वर्षों के दौरान स्थानान्तरणोंकप विधिवत रूप से हस्ताक्षरित और मुहर लगाकर कार्यालय के प्रमुख द्वारा नाम ,पदनाम और अन्य प्रासंगिक विवरणों को ब्लॉक अक्षरों में लिखा गया है ।(केन्द्रीय/राज्य सरकार के कर्मचारियों और स्वायत्त निकायों के लिए लागू)
6. मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी विकलांग प्रमाण पत्र
7. सैलरी स्लिप की प्रमाणित प्रति
8. EWS प्रमाण पत्र अगर लागू हो तो
9. बच्चे का आधार कार्ड
10. सैनिक कर्मियों का पार्ट 2 आर्डर प्रमाण पत्र